

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)  
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु  
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) नाकासर

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

पामादेवी

उनवान

बनाम

राजन्धान सुका, पत्नी वही सुका


दावा बाबत नाम डुरसी U/S 88 RTA

मुकदमा नम्बर :- 92/2022

निर्णय दिनांक :- 30.05.2022

वादी की ओर से सुका की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 30.05.2022 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी सुका किसी प्रकार शरीर गन्त यशस लोकान की जमागी जात न 64 खण्ड 08, 09, 10, 12, 13 में अंकित सुका पुगी भानीराम के स्थान या पामादेवी पुगी भानीराम नाम डुरसु वाने की कोपणा की जाती है। तहसीलदार चूरु उम्मानुसा राजन्धान सुका के अक्षर द्वारा 05/05/2022 दिनांक में नाम डुरसी के लक्ष्य में कोर्ट के 05/05/2022 स्थिति होती है जो पूर्व नाम ही मान्य होगा। वही डुरसु वाने की कोपणा व्यवस्थापक के तौर पर डुरसी लक्ष्य की जमागी होगी।  
खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 30.05.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

  
(सत्यनारायण)  
पीठासीन अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्च

वादी	प्रतिवादी
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. ....रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस
जोड़	जोड़



ना.ख. → 397  
1-06-22